PU

राजस्थान सरकार

(कायदा 12)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

ग्राम नयानगर

2024/54

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर		पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
इजराय	21/24	7/2/24	24/11/24 निस्तारित 8/11/24	18/7/24 9/8/24 16/10/24 14/11/24

अनवान

श्री हरिसिंह S/o गणपत सिंह राजपूत श्री गणपत S/o अमरलाल, मोडी बाई W/o गणपत

निवासी नयानगर निवासी माण्डलगढ़

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रस्पोडेंट

डिक्रीदार मद्यून

श्री गिरधारी लाल आचार्य श्री

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

हरिसिंह बनाम मोडी

किस्म मुकदमा – इजराय आदेश – 21 नियम–11 नम्बर 21 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7 / 2 / 2024	इजराय सीगे से बाद जांच पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। इजराय दर्ज रजिस्टर की जाकर डिक्री की प्रति तहसीलदार बिजौलियां को भेज पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली वास्ते पालना दिनांक 7 / 3 / 2024 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
7/3/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 5/4/24 को वास्ते तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
5/4/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 9/5/24 को वास्ते तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
9/5/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 6/6/24 को वास्ते पा. रि. पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
6/6/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 27/6/24 को वास्ते पा. रि. पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
27/6/24	पत्राव[illegible] [illegible]क वादी / [illegible] उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 18/7/24 को वास्ते पा. रि. पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

कमांक / राजस्व / 2024 / 1665 दिनांकः 22 / 10 / 2024

प्रेषिति :–

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय
बिजौलियाँ

विषय :– इजराय की पालना प्रस्तुत करने के सम्बंध में।

प्रसंग :– श्रीमान् के पत्रांक / रीडर / 2024 / 320 दिनांक 19.02.2024 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि इजराय प्र0सं0 21 / 2024 में आदेशानुसार पटवार मण्डल नयानगर के ग्राम नयानगर में हरिसिंह पिता मानसिंह बनाम गणपतलाल दरोगा सा0 नयानगर में ग्राम नयानगर में नामा0 संख्या 2201 दिनांक 22.02.2024 व नामा0 संख्या 2202 दिनांक 22.02.2024 से दर्ज किया जाकर अमल दरामद कर दिया गया है। जमाबन्दी की नकले सलंग्न कर रिपोर्ट श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेषित है।

संलग्नः– उक्तानुसार

भवदीय

(ललित कुमार डीडवानिया)
तहसीलदार **बिजौलिया**

तामील हो गई है PV
मौका रिपोर्ट हेतु TDR के
✓ लिखा गया ग्राम इन्द्रपुरा

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/64

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
251 (A) (2)	13/2024	14/2/24	15/10/24 [illegible]	12/3/24 14/8/24 9/9/24 23/9/24 ✓ मौका रिपोर्ट प्राप्त 25/9/24 9/10/24 15/10/24

अनवान

श्री सीता देवी w/o सोहनलाल रेगर श्री भूमिधारी तहसीलदार बिजौलियाँ

निवासी सलावटिया तह. बिजौलियाँ निवासी तह. बिजौलियाँ, भीलवाड़ा

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट्

डिक्रीदार मदयून

श्री मुकेश कुमार धाकड़ श्री TDR

(1)

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

: सीता देवी बनाम तहसीलदार

किस्म मुकदमा 251 (ए) (1) नम्बर 13 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/2/2024	प्रार्थना पत्र सीधे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी / जवाब दिनांक 12/3/2024 को पेश हों। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
12/3/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान [illegible] दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 16/4/24 को वास्ते तलबी पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी	
16/4/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 15/5/24 को वास्ते तलबी पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी	विपक्षी की बाद तामील शामिल पत्रावली की गई।
5/6/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 26/6/24 को वास्ते तलबी पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी	
26/6/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान [illegible] दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 10/7/24 को वास्ते तलबी पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी	
10/7/24	पत्रावली पेश हुई तहसीलदार बिजौलिया को जाँच रिपोर्ट के लिए तहरीर जारी हो, पत्रावली आगामी दिनांक 14/8/24 को पेश हो (हस्ताक्षर)	

14/8/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् ... दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 9/9/24 को वास्ते रिपोर्ट पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी

9/9/24 पत्रावली पेश हुई तहसीलदार बिजौलिया से रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी आगामी दिनांक 23/9/24 को पेश हो।

23/9/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् ... दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 25/9/24 को वास्ते सा. वादी पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी

25/9/24 पत्रावली पेश हुई तहसीलदार बिजौलिया से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते उचित आदेश आगामी दिनांक 9/10/24 को पेश हो।

9/10/24 पत्रावली पेश हुई तहसीलदार बिजौलिया से प्राप्त रिपोर्ट पर बहस सुनी गई एवं रिपोर्ट स्वीकार की गई। पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 15/10/24 को पेश हो।

15/10/24 पत्रावली पेश हुई पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखवाया गया एवं खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्री अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :– 13/2024 दायर तारीख 14.02.2024

अनवान

सीतादेवी पत्नि सोहनलाल जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

............प्रार्थीया

बनाम

01. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)।

.... विपक्षी

उपस्थित :– 01. श्री मुकेश कुमार धाकड़ अधिवक्ता प्रार्थीया।
02. पेरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:निर्णय:–

दिनांक :– 15/10/2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया द्वारा जरिये अधिवक्ता मुकेश कुमार धाकड़ ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विपक्षी पेश कर निवेदन किया की मुझ प्रार्थीया की स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम इन्द्रपुरा पटवार हल्का तिलस्वां में खसरा संख्या 634/614 रकबा 0.1619 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय कुल किता 1 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीया की कृषि भूमि होकर स्थित हैं जिस पर आने जाने के लिए 18 फीट चौड़ा रास्ता खसरा संख्या 7 गेमु0 सड़क से खसरा संख्या 623/6 गेमु. मंगरी के पश्चिमी मेड़ के सहारे सहारे होता हुआ उत्तर से दक्षिण में प्रार्थीया की आराजी संख्या 634/614 में प्रवेश करता है। (जिसे संलग्न नजरी नक्शे मे A TO B से दर्शाया गया है) प्रार्थीया द्वारा इसी रास्ते का उपयोग उपभोग कर अपनी आराजी मे आती जाती हैं। विपक्षीगण की उक्त भूमि आराजीयात मे से होकर गुजरने वाला रास्ता राजस्व रेकार्ड एंव नक्शे मे तरमीम नही होने से प्रार्थीया को उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग मे एंव भविष्य मे अवेध कब्जे होकर विवाद बढ़ने व उक्त रास्ते के अवरुद्ध होने का अंदेशा बना रहता है। जबकि उक्त रास्ता वर्षो पुराना होकर उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अपनी आराजी मे आने जाने, ट्रेक्टर ट्रोली, वाहन, बैलगाड़ी लाने ले जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी मे आने जाने के उक्त 30 फीट चौड़े रास्ते को राजस्व रेकार्ड मे दर्ज एंव नक्शे मे तरमीम करवाने का निवेदन किया है, और प्रार्थीया, विपक्षी की उक्त आराजियात मे जाने वाले उक्त 30 फीट चौड़े रास्ते को रिकार्ड में लेने के बदले में तय किये जाने वाला सरकारी मूल्य के आधार पर मुआवजे के भुगतान को तैयार हैं। उक्त आराजीयात पर जाने के लिए रास्ते को राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने के आदेश प्रदान कराना फरमावें।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षी की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गयी।

प्रकरण में मात्र विपक्षी तहसीलदार ही पक्षकार हैं। अतः प्रकरण में प्रार्थीया आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुक्रम में मौका स्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार बिजौलियां से तलब की गयी तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट जरिये क्रमांक/राजस्व/2024/1264 दिनांक 20.08.2024 में अंकित किया कि ग्राम इन्द्रपुरा की आराजी नम्बर 634/614 रकबा 0.1619 हैक्टेयर है भूमि सीतादेवी पत्नि सोहनलाल जाति रेगर निवासी सलावटिया के नाम दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त भूमि में आने जाने हेतु प्रार्थी खातेदार बिलानाम आराजी न. 623/6 रकबा 9.4787 है0 किस्म गेमु मगरी में से पश्चिम मेड के सहारे–सहारे होता हुआ प्रार्थीया की खातेदारी में आने जाने के लिए 30 फीट चौडा रास्ता चाहती है :–

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

- [illegible]
- [illegible]
- ग्राम इन्द्रपुरा की रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि बिलानाम आराजी नम्बर 643/623 रकबा 0.1232 हैक्टेयर में से 0.0081 हैक्टेयर भूमि रास्ते के लिए आवश्यकता होगी। रास्ते हेतु प्रस्तावित आराजी राजस्व रिकॉर्ड अनुसार [illegible] दर्ज है। उक्त रास्त दर्ज करने से किसी को कोई सार्वजनिक आपत्ति नही है।
- ग्राम इन्द्रपुरा की रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि बिलानाम आराजी नम्बर 643/623 रकबा 0.1232 है0 में से 0.0081 है0 भूमि की डी.एल.सी. दर 2191731/-रू0 प्रति हे0 से भूमि की मालियत 17754/-रूपये का दुगुना से 35508/-रूपये की राशि बनती है।

प्रकरण में बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व विपक्षी सरकार पैरोकार की सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया उक्त प्रस्तावित आराजीयात पर पहुंच मार्ग हेतु ग्राम इन्द्रपुरा की बिलानाम आराजी नम्बर 643/623 रकबा 0.1232 हैक्टैयर में से 0.0081 हैक्टैयर भूमि में रास्ता दिये जाने हेतु भूमिधारी तहसीलदार बिजौलिया ने अपनी रिपोर्ट में कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैंकल्पिक रास्ता वर्तमान में मौके पर दर्ज नही होने से उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:आदेश:–

अतः प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाता हैं। प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम इन्द्रपुरा में खाता संख्या 6 में अंकित आराजी नम्बर 634/614 रकबा 0.1619 हैक्टैयर भूमि पर पहुंचने के लिए रास्ता विपक्षी की ग्राम इन्द्रपुरा की बिलानाम आराजी नम्बर 643/623 रकबा 0.1232 हैक्टेयर में से 0.0081 हैक्टेयर भूमि बनती है जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 2191731/-प्रति हैक्टेयर से भूमि की मालियत 17754/-रूपये का दुगुना से 35508/-रूपये की राशि बनती है। बतौर मुआवजा भुगतान योग्य हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा कराने पर नियमान्तर्गत रास्ता राजस्व अभिलेख में गे0मू0 रास्ता (रास्ता/पगडंडिया) अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलिया को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 15/10/2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ